दूरभाष : 0141-2989581, फैक्स : 0141-2226134
E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

चिंता से मुक्ति
आईपी-बीआईपी

# क्षेत्रीय कार्यालय

# कर्मचारी राज्य बीमा निगम

( श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार )

स्वस्थ भारत

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

उप क्षेत्रीय कार्यालयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम
5, भूपालपुरा, शास्त्री सर्कल, आर.के.प्लाजा, उदयपुर-313001
दूरभाषः 0294-2418806, फैक्स : 0294-2419907
ई-मेल : sro-udaipur@esic.nic.in

"पंचदीप भवन", भवानी सिंह रोड, जयपुर-302001

**नियोजक अंशदान अब 4.75% के स्थान पर 3.25% व कर्मचारी अंशदान 1.75% से घटकर 0.75% हुआ।**

उप क्षेत्रीय कार्यालयः कर्मचारी राज्य बीमा निगम
1/3, 1/4, पाल लिंक रोड, जोधपुर-342008
दूरभाषः 0291-2750003, फैक्स : 0291-2750005
ई-मेल : sro-jodhpur@esic.nic.in

## कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत देय हितलाभ

| क्रम संख्या | हितलाभ | हितलाभ व उनकी अंशदायी शर्तें | अवधि तथा हितलाभों की दरें |
|---|---|---|---|
| 1. | क) बीमारी हितलाभ | सबंधित अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो। | लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत। |
| | ख) वर्धित बीमारी हितलाभ | सबंधित अंशदान अवधि में कम-से-कम 78 दिनों का अंशदान अदा किया हो। | पुरुष नसबन्दी हेतु बीमाकृत व्यक्ति के लिए 7 दिन तथा महिला नलीबन्दी के लिए बीमाकृत महिला के लिए 14 दिन, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। भुगतान की दर-औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत |
| | ग) विस्तारित बीमारी हितलाभ | 34 विनिर्दिष्ट दीर्घकालीन बीमारियों के लिए दो वर्ष की अवधि का लगातार रोजगार तथा चार लगातार अंशदान अवधियों में 156 दिन का अंशदान | 124/309 दिनों तक वर्णित दीर्घकालिक रोग होने की स्थिति में जिसे चिकित्सकीय सलाह पर 2 वर्ष (730 दिन) तक बढ़ाया जा सकता है। दर-औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 80 प्रतिशत। |
| 2. | निःशक्तता हितलाभ<br>क) अस्थायी अपंगता हितलाभ | बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो। | निःशक्तता (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) 3 दिन से कम समय में ठीक हो जाने पर, हितलाभ देय नहीं हैं। अन्यथा अस्थायी अपंगता समाप्त होने तक की पूर्ण अवधि के लिए देय। दर-औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत। |
| | ख) स्थायी अपंगता हितलाभ | बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से, भले ही अंशदान अदा न भी किया गया हो। | जीवनपर्यन्त, दर-कामगार की चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपात औसत दैनिक मजदूरी का लागभग 90 प्रतिशत। एकमुश्त परिवर्तनीय-यदि दैनिक दर हितलाभ रुपये 10/- तक अथवा परिवर्तित राशि रुपये 60,000/- से अधिक नहीं है। |
| 3. | आश्रितजन हितलाभ | रोजगार चोट के कारण मृत्यु होने पर बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से, भले ही कोई अंशदान अदा न किया हो। | बीमित की पत्नी को जीवनपर्यन्त या पुनर्विवाह तक तथा प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक एवं प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को उसका विवाह होने तक। अशक्त बच्चे को अशक्तता बने रहने तक। आश्रित माता-पिता को जीवन पर्यन्त। दर-औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत जो कि निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा। न्यूनतम पेन्शन रुपये 1200/- प्रतिमाह |
| 4. | आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर महिला (पत्नी) की चिकित्सा देखरेख | आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने वाली विधवा महिला को। | वार्षिक आधार पर आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करने पर दिवंगत बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को रुपए 120/- के वार्षिक भुगतान पर क.रा.बी. चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखरेख। (अतिविशष्टता उपचार को छोड़कर) |
| 5. | प्रसूति हितलाभ | दो लगातार पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिन के लिए अंशदान की अदायगी | प्रथम दो प्रसवों के लिए 26 सप्ताह, तीसरे जीवित बच्चे और आगे के लिए 12 सप्ताह, गर्भपात के लिए 6 सप्ताह, कमिशनिंग माता के लिए 12 सप्ताह, दत्तक माता के लिए 12 सप्ताह। दर-औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | प्रसूति व्यय | जहां कराबी योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय का भुगतान किया जाएगा। | दो प्रसूतियों तक<br>दर - रुपए 7500/- प्रति प्रसव। |
| 7. | चिकित्सा हितलाभ | बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देख-रेख की पूरी सुविधाएं बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही है। | बीमारी या अपंगता समाप्त होने तक पूर्ण चिकित्सा देख रेख विशेषज्ञ मामले में खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्ति जो अधिवर्षिता की आयु पूरी करने से पहले कम से कम पांच वर्ष के लिए बीमा योग्य नियोजन में रहा हो तथा अपंग बीमाकृत व्यक्ति स्वयं तथा अपनी पत्नी के लिए केवल 120/- रुपए वार्षिक अंशदान देने पर चिकित्सा देख-रेख का हकदार है। |
| 8. | राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता | प्रत्येक अंशदान अवधि में प्रदत्त/देय 78 दिनों के अंशदान के साथ अंतिम 2 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार। कारखाने/स्थापना के बंद होने, छंटनी या 40 प्रतिशत से अधिक गैर-रोजगार चोट के कारण हुई स्थायी निःशक्तता की अनैच्छिक बेरोजगारी। | पूर्ण बीमा योग्य रोजगार के दौरान 24 माह की अधिकतम अवधि के लिए। दरः -0-12 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशित। 13 से 24 माह के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत। कौशल उन्नयन हेतु 1 वर्ष तक का व्यावसायिक प्रशिक्षण। |
| 9. | अंत्येष्टि व्यय | बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से। | बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुआ रुपए 15,000/- तक का व्यय। |
| 10. | नियम 60 के अंतर्गत व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता | आयु 45 वर्ष से अधिक न हो तथा रोजगार चोट की वजह से न्यूनतम 40 प्रतिशत निःशक्तता रखता हो। | व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र/संस्थान के प्रतिमानों के अनुरुप सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण। सामान्य दरों पर वाहन खर्च केन्द्र द्वारा प्रमाणित व्यय या रुपए 123/- प्रतिदिन, जो भी अधिक हो। |
| 11. | निःशक्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए नियोक्ताओं की प्रोत्साहन योजना | मजदूरी की वेतन सीमा रुपये 25,000 तक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रारम्भिक 10 वर्षों के लिए नियोक्ता के अंशदान शेयर का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है तथा इस प्रकार नियोक्ता को क.रा.बी. अधिनियम के तहत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं में कार्यरत स्थाई रुप से निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में 10 वर्ष तक उनके अंशदान शेयर भुगतान करने से छूट प्राप्त हैं। | |
| 12. | बीमित के आश्रित को ईएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की सुविधा | बीमित को निगम द्वारा सुचित तिथि को आई.पी. होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यू.जी.) में योग्यता हासिल करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के योग्य हैं। पात्रता की अन्य शर्तें ईएसआईसी की वेब साईट अर्थात www.esic.nic.in पर एडमिशन लिंक पर जाकर देखी जा सकती हैं। | |

## "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना दिनांक 01-07-2018 से लागू"

## ई.एस.आई.सी. राजस्थान क्षेत्र एक नजर (31 मार्च, 2021 के आंकड़ों के अनुसार)

| | |
|---|---|
| योजना में शामिल नियोजक - 69,399 | चिकित्सालय - 8 |
| योजना में कर्मचारियों की संख्या - 10,36,970 | शाखा कार्यालय - 20 |
| योजना में बीमितों की संख्या - 14,36,200 | औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (DCBO) - 6 |
| लाभार्थियों की संख्या - 15,97,784 | आई एम पी - 51 |
| व्याप्त जिलों की संख्या - 33 जिले, संपूर्ण राजस्थान | सैकण्ड्री लेवल उपचार हेतु अनुबंधित अस्पताल - 114 |
| औषधालय - 74 | अति विशेषज्ञ उपचार हेतु अनुबंधित अस्पताल - 78 |